SMIL: BSE/NSE: 19-20/1910

19th October, 2019

BSE Limited
Department of Corporate Services
Pheroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
(SCRIP CODE - 535602)

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra - Kurla Complex, Mumbai - 400 051
(Symbol - SHARDAMOTR) (Series - EQ)

Subject: - Submission of Copies of Newspaper Advertisement

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement dated 19th October, 2019 [Business Standard and Financial Express (English Language) and Business Standard & Vir Arjun (Hindi Regional Language)]. This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Sharda Motor Industries Limited**

Pradeep Srivastava
Sr. Ext. Secretarial
Encl. as above

FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7]

Company Petition No. CA (CAA) - 137(PB) / 2019

In the matter of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of sections 230 to 232 read with Section 66 and other provisions of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of Scheme of Arrangement between

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED, a public company incorporated under the provision of Companies Act, 1956, having its Registered Office at D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020

.....................Applicant Company-1/ Demerged Company/ SMIL

AND

NDR AUTO COMPONENTS LIMITED, a public company incorporated under the provision of Companies Act, 2013, having its registered office at D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020

.....................Applicant Company-2/ Resulting Company/ NACL

AND

Their respective shareholders and creditors

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated October 10, 2019 the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting to be held of equity shareholders of Sharda Motor Industries Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Arrangement proposed to be made between Sharda Motor Industries Limited ("Demerged Company") and NDR Auto Components Limited ("Resulting Company") and the shareholders and creditors of the companies as aforesaid.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of Sharda Motor Industries Limited will be held at PHD Chamber of Commerce, PHD House, 4/2, August Kranti Marg, Siri Institutional Area, New Delhi - 110016 on Wednesday, November 20, 2019 at 12.00 P.M. at which time and place the Equity Shareholders are requested to attend the meeting.

The Notice convening the Meeting of Equity Shareholders along with the copies of the said Scheme of Arrangement and explanatory statement under section 230-232 of the Companies Act, 2013 are available on the website of SMIL viz. www.shardamotor.com and is being sent to National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) and can also be obtained free of charge at the registered office of the company. Persons entitled to vote may vote through electronic means or may attend and vote at the meeting in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company at D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 not later than 48 hours before the meeting.

Forms of Proxy are available on the website of SMIL viz. www.shardamotor.com and is being sent to NSE and BSE and can also be provided free of charge at the registered office of the company.

The Tribunal has appointed Mr. Inderjeet Singh (Advocate) as Chairperson, and failing him, Mr. Gautam Mukherjee (Advocate) as the Alternate Chairperson and Mr. Narender Thakur, Company Secretary as a Scrutinizer for the said meeting. The abovementioned arrangement, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the tribunal.

Dated this 15th day of October, 2019

For and on behalf of Sharda Motor Industries Limited
Sd/-
Inderjeet Singh
Chairperson appointed for the meeting

FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7]

Company Petition No. CA (CAA) - 137(PB) / 2019

In the matter of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of sections 230 to 232 read with Section 66 and other provisions of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of Scheme of Arrangement between

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED, a public company incorporated under the provision of Companies Act, 1956, having its Registered Office at D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020

.....................Applicant Company-1/ Demerged Company/ SMIL

AND

NDR AUTO COMPONENTS LIMITED, a public company incorporated under the provision of Companies Act, 2013, having its registered office at D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020

.....................Applicant Company-2/ Resulting Company/ NACL

AND

Their respective shareholders and creditors

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF UNSECURED CREDITORS OF SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated October 10, 2019 the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting to be held of unsecured creditors of Sharda Motor Industries Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Arrangement proposed to be made between Sharda Motor Industries Limited ("Demerged Company") and NDR Auto Components Limited, ("Resulting Company") and the shareholders and creditors of the companies as aforesaid.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of the Unsecured Creditors of Sharda Motor Industries Limited will be held at PHD Chamber of Commerce, PHD House, 4/2, August Kranti Marg, Siri Institutional Area, New Delhi - 110016 on Wednesday, November 20, 2019 at 02.00 P.M. at which time and place the Unsecured Creditors are requested to attend the meeting.

The Notice convening the Meeting of Unsecured Creditors along with the copies of the said Scheme of Arrangement and explanatory statement under section 230-232 of the Companies Act, 2013 are available on the website of SMIL viz. www.shardamotor.com and is being sent to National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) and can also be obtained free of charge at the registered office of the company. Persons entitled to vote may vote through electronic means or may attend and vote at the meeting in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company at D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 not later than 48 hours before the meeting.

Forms of Proxy are available on the website of SMIL viz. www.shardamotor.com and is being sent to NSE and BSE and can also be provided free of charge at the registered office of the company.

The Tribunal has appointed Mr. Inderjeet Singh (Advocate) as Chairperson, and failing him, Mr. Gautam Mukherjee (Advocate) as the Alternate Chairperson and Mr. Narender Thakur, Company Secretary as a Scrutinizer for the said meeting. The abovementioned arrangement, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the tribunal.

Dated this 15th day of October, 2019

For and on behalf of Sharda Motor Industries Limited
Sd/-
Inderjeet Singh
Chairperson appointed for the meeting

NEW DELHI | 19 OCTOBER 2019

Business Standard

प्रपत्र नं. सीएए 2

(धारा 230(3) तथा नियम 6 तथा 7 के अनुसार)

कंपनी याचिका सं. सीए (सीएए) - 137 (पीबी)/2019

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ धारा 66 तथा अन्य प्रावधानों के मामले में

तथा

निम्नलिखित के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में

शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अधीन गठित एक सार्वजनिक कंपनी तथा पंजीकृत कार्यालय डी-188, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

.... आवेदक कंपनी -1/डिमर्ज्ड कपंनी /एसएमआईएल

तथा

एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अधीन गठित एक सार्वजनिक कंपनी तथा पंजीकृत कार्यालय डी-188, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

.... आवेदक कंपनी -2/परिणामी कपंनी /एनएसीएल

तथा

उनके संबंधित शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के संबंध में

शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयर धारकों की बैठक की सूचना तथा सूचना विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 10 अक्टूबर, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ ने शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डिमर्ज्ड कंपनी) तथा एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड (परिणामी कंपनी) तथा उपरोक्त कंपनियों के शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के बीच व्यवस्था की प्रस्तावित योजना पर विचार करने, सटीक समझे जाने पर, संशोधन के साथ अथवा उसके बगैर अनुमोदन के उद्देश्य के लिए शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक आयोजित करने का निर्देश जारी किया है।

उक्त आदेश के अनुपालन तथा उसमें उल्लिखित निर्देशों के अनुसार, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स, पीएचडी हाउस, 4/2, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110016 में बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित होगी, संबंधित समय तथा स्थान पर इक्विटी शेयरधारकों को उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अधीन इक्विटी शेयरधारकों की बैठक आयोजन संबंधी सूचना के साथ उक्त व्यवस्था की योजना तथा व्याख्यात्मक विवरण की प्रतिलिपि एसएमआईएल की वेबसाइट : www.shardamotor.com पर उपलब्ध है तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को भी भेज दी गई है तथा उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। वोट डालने के पात्र व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोट डाल सकते हैं अथवा बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर वोट डाल सकते हैं अथवा प्रतिनिधि के जरिए वोट डाल सकते हैं, बशर्तें कि उन्हें निर्धारित प्रारूप में सभी प्रतिनिधित्व प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय डी-188, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में बैठक शुरू से कम से कम 48 घंटे पहले जमा करना होगा।

प्रतिनिधित्व प्रपत्र एसएमआईएल की वेबसाइट www.shardamotor.com पर भी उपलब्ध है तथा उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को भी भेज दिया गया है तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से उसे निः शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

न्यायाधिकरण ने उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में श्री इंद्रजीत सिंह (अधिवक्ता) को नियुक्त किया है तथा उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में श्री गौतम मुखर्जी (अधिवक्ता) तथा जांच कर्त्ता के रूप में श्री नरेन्द्र ठाकुर, कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। बैठक में अगर उपरोक्त उल्लेखित व्यवस्था पर अनुमोदन होता है, तो वह तदुपरांत न्यायाधिकरण के अनुमोदन पर निर्भर होगा।

तारीख 15 अक्टूबर, 2019

शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर

इंद्रजीत सिंह

बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

प्रपत्र नं. सीएए 2

(धारा 230(3) तथा नियम 6 तथा 7 के अनुसार)

कंपनी याचिका सं. सीए (सीएए) - 137 (पीबी)/2019

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ धारा 66 तथा अन्य प्रावधानों के मामले में

तथा

निम्नलिखित के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में

शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अधीन गठित एक सार्वजनिक कंपनी तथा पंजीकृत कार्यालय डी-188, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

.... आवेदक कंपनी -1/डिमर्ज्ड कपंनी /एसएमआईएल

तथा

एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अधीन गठित एक सार्वजनिक कंपनी तथा पंजीकृत कार्यालय डी-188, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

.... आवेदक कंपनी -2/परिणामी कपंनी /एनएसीएल

तथा

उनके संबंधित शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के संबंध में

शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना तथा सूचना विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 10 अक्टूबर, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ ने शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डिमर्ज्ड कंपनी) तथा एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड (परिणामी कंपनी) तथा उपरोक्त कंपनियों के शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के बीच व्यवस्था की प्रस्तावित योजना पर विचार करने, सटीक समझे जाने पर, संशोधन के साथ अथवा उसके बगैर अनुमोदन के उद्देश्य के लिए शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक आयोजित करने का निर्देश जारी किया है।

उक्त आदेश के अनुपालन तथा उसमें उल्लिखित निर्देशों के अनुसार, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स, पीएचडी हाउस, 4/2, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110016 में बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को अपराह्न 02.00 बजे आयोजित होगी, संबंधित समय तथा स्थान पर अप्रत्याभूत ऋणदाताओं को उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अधीन अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक आयोजन संबंधी सूचना के साथ उक्त व्यवस्था की योजना तथा व्याख्यात्मक विवरण की प्रतिलिपि एसएमआईएल की वेबसाइट : www.shardamotor.com पर उपलब्ध है तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को भी भेज दी गई है तथा उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। वोट डालने के पात्र व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोट डाल सकते हैं अथवा बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर वोट डाल सकते हैं अथवा प्रतिनिधि के जरिए वोट डाल सकते हैं, बशर्तें कि उन्हें निर्धारित प्रारूप में सभी प्रतिनिधित्व प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय डी-188, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में बैठक शुरू से कम से कम 48 घंटे पहले जमा करना होगा।

प्रतिनिधित्व प्रपत्र एसएमआईएल की वेबसाइट www.shardamotor.com पर भी उपलब्ध है तथा उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को भी भेज दिया गया है तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से उसे निः शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

न्यायाधिकरण ने उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में श्री इंद्रजीत सिंह (अधिवक्ता) को नियुक्त किया है तथा उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में श्री गौतम मुखर्जी (अधिवक्ता) तथा जांच कर्त्ता के रूप में श्री नरेन्द्र ठाकुर, कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। बैठक में अगर उपरोक्त उल्लेखित व्यवस्था पर अनुमोदन होता है, तो वह तदुपरांत न्यायाधिकरण के अनुमोदन पर निर्भर होगा।

तारीख 15 अक्टूबर, 2019

शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर

इंद्रजीत सिंह

बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

नई दिल्ली | 19 अक्टूबर 2019 शनिवार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1986PLC023202

पंजी. कार्या.: डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020,
फोन नं. +91 11 4733 4100, फैक्स: +91 11-2681 1676
ई-मेल: investorrelations@shardamotor.com वेबसाइट www.shardamotor.com

इक्विटी शेयरधारकों की कोर्ट द्वारा बुलाई गई बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (''अधिकरण'') ने अपने आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''डिमर्ज्ड कम्पनी'') और एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड (''परिणामी कम्पनी'') और उपरोक्त कथित कंपनियों के शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच प्रस्तावित व्यवस्था की योजना पर विचार करने और यदि उचित पाया गया तो, उसे संशोधन या बिना संशोधन अनुमोदित करने के लिए शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कम्पनी'') के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दोप. 12.00 बजे (आईएसटी) पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016, भारत में आयोजित करने के निर्देश दिये है।

व्याख्यात्मक विवरण, व्यवस्था की योजना, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फार्म एवं अन्य अपेक्षित दस्तावेजो के साथ इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के आयोजन के लिए कम्पनी के सदस्यों को सूचना भेजने के कार्य शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2019 को पूरा कर लिया गया है। कथित सूचना एवं अन्य दस्तावेज उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गये है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है और अन्य सदस्यों को भौतिक प्रतियां उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 समय-समय पर यथासंशोधित के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी बैठक के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से वोट देने के लिए अपने सदस्यों को ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन हेतु सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की सेवाएं ली है। इस संबंध में सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 21 अक्टूबर, 2019 को प्रात: 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग हटा ली जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग से वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
2. जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 14 अक्टूबर, 2019 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा तैयार की गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल/दर्ज होंगे केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ ही बैठक में वोट देने के लिए पात्र होंगे।
3. बैठक के स्थान पर बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होने वाला सदस्य जिसने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले अपना अपना वोट नहीं दिया है केवल उसे ही बैठक में बैलेट पेपर द्वारा वोट देने की अनुमति होगी।
4. निर्धारित प्रारूप में प्रॉक्सी फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय डी-188, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110048 में बैठक से 48 घंटे पूर्व जमा करना होगा। रिक्त प्रॉक्सी फार्म एसएमआईएल की वेबसाइट www.shardamotor.com पर उपलब्ध है और इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के पास भी भेजा जा रहा है और इसे किसी भी कार्यदिवस (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
5. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यय से अपना वोट देने के बाद भी सदस्य बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही बैठक में भी अपना वोट देता है तो उसके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में दिया गया वोट मान्य होगा और बैठक में दिया गया वोट अमान्य माना जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत कथित व्यवस्था की योजना और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियों के साथ इक्विटी श्शेयरधारकों की बैठक के आयोजन की सूचना एसएमआईएल की वेबसाइट www.shardamotor.com पर उपलब्ध है। और इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के पास भी भेजा जा रहा है और इसे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकरण ने वोटिंग प्रक्रिया (बैलेट पेपर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग) को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री इंदरजीत सिंह (अधिवक्ता) को अध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री गौतम मुखर्जी (अधिवक्ता) को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री नरेन्दर ठाकुर, कम्पनी सचिव को कथित बैठक के पर्यवेक्षक (''पर्यवेक्षक'') के रूप में नियुक्त किया है।

किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें। रिमोट ई-वोटिंग पर किसी भी शिकायत के लिए श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचुरैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई) मुम्बई-400013 से फोन नं. 1800225533 ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क करें। सदस्यगण उपरोक्त पते पर कम्पनी को या ई-मेल investorrelations@shardamotor.com पर भी लिख सकते है।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
नितिन विश्नोई
कम्पनी सचिव

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

11 वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2019

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L74899DL1986PLC023202)
Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110020
Tel.: +91 11 4733 4100 Fax: +91 11 2681 1676
Email: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

NOTICE FOR COURT CONVENED MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that by an order dated October 10, 2019 the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal ("Tribunal") has directed a meeting to be held of equity shareholders (Meeting) of Sharda Motor Industries Limited ("the Company") on Wednesday, November 20, 2019 at 12:00 Noon (IST), at PHD Chamber of Commerce & Industry, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016, India for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Arrangement proposed to be made between Sharda Motor Industries Limited ("Demerged Company") and NDR Auto Components Limited ("Resulting Company") and the shareholders and creditors of the companies as aforesaid.

The dispatch of the Notice for the Meeting of Equity Shareholders along with Explanatory Statement, Scheme of Arrangement, Attendance Slip, Proxy Form and other required documents to the members of the Company has been completed on Friday, 18th October, 2019. The said Notice and other documents has been sent electronically to those members, whose e-mail IDs were registered with the Company / Depository Participant and physical copy to other members through the permitted mode at their registered address.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of the Meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL") for the purpose of providing remote e-voting facility to all its members. In this regard, the members may note the following details:

(i) The remote e-voting period shall commence on Monday, October 21, 2019, [09:00 A.M. (IST)] and ends on Tuesday, November 19, 2019 [05:00 P.M. (IST)]. The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed;

(ii) A person, whose name appears/ recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Monday, October 14, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the meeting;

(iii) The facility of voting through Ballot Paper shall be made available at the venue of the Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper;

(iv) The Proxies in the prescribed form shall be deposited at the registered office of the company at D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 not later than 48 hours before the meeting. A blank proxy form are available on the website of SMIL viz. www.shardamotor.com and is being sent to National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) can also be obtained free of charge from the registered office of the Company on any day (except Saturday, Sunday and public holidays).

(v) A member may participate in the Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting and shall not be entitled to vote again in the Meeting and if a member casts votes through remote e-voting and also at the Meeting, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done at the Meeting shall be treated as invalid.

The Notice convening the Meeting of Equity Shareholders along with the copies of the said Scheme of Arrangement and explanatory statement under section 230-232 of the Companies Act, 2013 are available on the website of SMIL viz. **www.shardamotor.com** and is being sent to National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) and can also be obtained free of charge at the registered office of the company.

The Tribunal has appointed Mr. Inderjeet Singh (Advocate) as Chairperson, and failing him, Mr. Gautam Mukherjee (Advocate) as the Alternate Chairperson and Mr. Narender Thakur, Company Secretary as Scrutinizer for the said meeting ("Scrutinizer") to scrutinize the voting process (Ballot paper as well as remote e-voting) in a fair and transparent manner.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for members and remote e-voting user manual for members available at **www.evotingindia.com** under help section. For any further grievances related to remote e-voting, members may write to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 at Telephone: 1800225533 or email at **helpdesk.evoting@cdslindia.com**. Members may also write to the Company at the aforementioned address or email at **investorrelations@shardamotor.com**.

For Sharda Motor Industries Limited
Sd/-
Nitin Vishnoi
Company Secretary

Date: 18th October, 2019
Place: New Delhi

SATURDAY, OCTOBER 19, 2019

FINANCIAL EXPRESS